डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ–226031

कार्यपरिषद की 34वीं बैठक की कार्यसूची

बैठक संख्या	:	34वीं बैठक
दिनांक	:	26 फरवरी, 2019
दिन	:	मंगलवार
समय	:	पूर्वान्ह 11:00 बजे
स्थान	:	मालवीय सभाकक्ष, डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ की कार्य परिषद की दिनांक 26.02.2019 को पूर्वाहन 11.00 बजे सम्पन्न हुई 34वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो0 विनय कुमार पाठक — अध्यक्ष
   मा0 कुलपति
   डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
   लखनऊ।

2. प्रो0 कैलाश नारायण उपाध्याय — सदस्य
   प्रति कुलपति,
   डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
   लखनऊ।

3. प्रो0 सुनील बाजपेई, — सदस्य
   निदेशक प्रतिनिधि
   आई0आई0टी0, रूडकी।

4. प्रो0 एस0 के0 अवस्थी — सदस्य
   पूर्व निदेशक, एच0बी0टी0आई0, कानपुर एवं
   नामित सदस्य-अखिल भारतीय तकनीकी
   शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।

5. प्रो0 नीरज मिश्रा — सदस्य
   निदेशक प्रतिनिधि
   आई0आई0टी0 कानपुर।

6. डॉ0 सरोज कुमार — सदस्य
   सचिव प्रतिनिधि
   प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

7. श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा — सदस्य
   प्रमुख सचिव वित्त, प्रतिनिधि
   उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

8. प्रो0 एस0पी0शुक्ला — सदस्य
   निदेशक,
   राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बांदा

9. प्रो0 वी0के0 गिरी — सदस्य
निदेशक
राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, सोनभद्र।

10. श्री ज्ञान पाल सिंह — विशेष आमंत्री
वित्त अधिकारी,
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

11. प्रो0 विरेन्द्र पाठक — विशेष आमंत्री
निदेशक,
उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, नोएडा

12. प्रो0 वंदना सहगल — विशेष आमंत्री
अधिष्ठाता/प्राचार्य,
वास्तुकला संकाय,
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

13. प्रो0 विनीत कंसल — विशेष आमंत्री
अधिष्ठाता, स्नातक पाठ्यक्रम,
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

14. प्रो0 जे0बी0 श्रीवास्तव — विशेष आमंत्री
अधिष्ठाता, फैकल्टी
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

15. प्रो0 राजीव कुमार — विशेष आमंत्री
परीक्षा नियंत्रक
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

16. डॉ0 संजीव कुमार सिंह — विशेष आमंत्री
उप कुलसचिव,
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

17. श्री नन्द लाल सिंह — सदस्य सचिव
कुलसचिव
ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थिति सभी सदस्यों का स्वागत किया गया एवं कार्यपरिषद के सम्मानित सदस्यों को विश्वविद्यालय के नये वित्त अधिकारी से परिचय कराने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अपेक्षा की गयी। अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरान्त अधिष्ठाता स्नातक पाठ्यक्रम प्रो0 विनीत कंसल द्वारा विश्वविद्यालय की विगत एक वर्ष की प्रगति आख्या का पावर

सदस्यों द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया तथा प्रस्तुतीकरण हेतु अधिष्ठाता स्नातक पाठ्यक्रम की सराहना की गयी। उक्त के उपरान्त कार्यसूची में सम्मिलित औपचारिक बिन्दुओं पर विचार विमर्श प्रारम्भ हुआ।

मद संख्या 34.01 विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की दिनांक 24-09-2018 को सम्पन्न 33वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

सचिव कार्यपरिषद द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यपरिषद की 33वीं बैठक का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्याए0के0टी0यू0/कुस0का0/का0परि0/2018/ 12402 दिनांक 15.10.2018 के साथ संलग्न कर कार्यपरिषद के सभी माननीय सदस्यों को प्रेषित किया गया था। कार्यवृत्त के अंकन में सचिव, प्राविधिक शिक्षा द्वारा पत्र संख्या 4316/सोलह-01-2018-15(03)/2000 दिनांक 22.11.2018 के माध्यम से कुछ परामर्श दिये गये थे जिसके अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। कार्य परिषद द्वारा पुष्टि किए गए विद्या परिषद की 57वीं बैठक (मद सं0-57.11) के कार्यवृत्त एवं वित्त समिति की 18वीं बैठक (मद सं0-18:51:51) के कार्यवृत्त में परिलक्षित विसंगति से परिषद अवगत हुई और परिषद ने यह संशोधन करने की अनुमति दी कि शॉर्ट टर्म कोर्स, कान्फ्रैंस, वर्कशॉप, सिम्पोजियम हेतु इंस्टीट्यूट कॉर्पस फण्ड में कन्सल्टेंसी शुल्क का 30 प्रतिशत जमा कराया जाएगा और शेष 70 प्रतिशत का भुगतान पी0आई0 एवं टीम मेम्बर्स में वितरित की जाएगी। बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर उक्त संशोधन के साथ पुष्टि प्रदान की गयी।

(कार्यवाहीः उप कुलसचिव)

मद संख्या 34.02 कार्यपरिषद की दिनांक 24.09.2018 को सम्पन्न हुई 33वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण।

सचिव कार्यपरिषद द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यपरिषद की 33वीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण परिषद के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया गया। परिषद द्वारा उक्त का संज्ञान लिया गया और कृत कार्यवाही पर अपनी पुष्टि प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः उप कुलसचिव)

मद संख्या 34.03 विद्या परिषद की दिनांक 12.02.2019 को सम्पन्न हुई 58वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन।

परिषद द्वारा कार्यसूची के विषय बिन्दु के अन्तर्गत प्रस्तुत विद्या परिषद की दिनांक 12.02.2019 को सम्पन्न हुई 58वी बैठक के कार्यवृत्त पर परिशीलनोपरान्त इस शर्त के साथ संस्तुति प्रदान की गयी कि निम्नलिखित मदों,

मद संख्या 55.07	डी0 एससी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार।

मद संख्या 57.03	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानो मे संचालित होने वाले बैचलर आफ वोकेशनल कोर्स (बी0वॉक) के रेगुलेशन एण्ड मॉडल कैरीकुलम तथा पाठयविन्यास पर अनुमोदन के संबंध में।
मद संख्या 57.33	डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के पुस्ताकालय हेतु ई-रिसोर्स सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विचार।
मद संख्या 57.38	डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के पी-एच0डी0 पाठ्यक्रम के आर्डिनेन्स में कतिपय संशोधन पर विचार।
मद संख्या 57.44.03	विश्वविद्यालय के संस्थान उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, नोएडा के छात्रों की फीस वापसी के संबंध में विचार।
मद संख्या 58.33	इनक्यूवेशन पालिसी की संस्तुति में निहित इनक्यूवेटी द्वारा देय यूजर चार्ज के अतिरिक्त इनक्यूवेटी कम्पनी में दो प्रतिशत इक्विटी भी देय होगा। यह इक्विटी हिस्सा विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित की जाने वाली सेक्सन-8 कम्पनी (KCIIS) के नाम नि:शुल्क देय होगा।

पर ससमय कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित हो।

(कार्यवाही: उप कुलसचिव, एकेडमिक)

मद संख्या 34.04 **विश्वविद्यालय की भवन एवं निर्माण समिति की दिनांक 15.11.2018 को सम्पन्न हुई 23वीं बैठक एवं दिनांक 18.02.2019 को सम्पन्न हुई 24वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन।**

परिषद द्वारा कार्यसूची के विषय बिन्दु के अन्तर्गत प्रस्तुत भवन एवं निर्माण समिति की दिनांक 15.11.2018 को सम्पन्न हुई 23वीं बैठक एवं दिनांक 18.02.2019 को सम्पन्न हुई 24वीं बैठक के कार्यवृत्त पर परिशीलनोपरान्त इस शर्त के साथ संस्तुति प्रदान की गयी कि **मद संख्या 24.11 विश्वविद्यालय के घटक संस्थान आई0ई0टी0, लखनऊ में प्रचलित निर्माण कार्यों के संबंध में प्रगति आख्या** पर ससमय कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित हो।

(कार्यवाही: अवर अभियन्ता, ए0के0टी0यू0, लखनऊ)

मद संख्या 34.05 **वित्त समिति की दिनांक 20.02.2019 को सम्पन्न हुई 52वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन।**

परिषद द्वारा कार्यसूची के विषय बिन्दु के अन्तर्गत प्रस्तुत वित्त समिति की दिनांक 20.02.2019 को सम्पन्न हुई 52वीं बैठक के कार्यवृत्त पर परिशीलनोपरान्त इस शर्त के साथ संस्तुति प्रदान की गयी कि कतिपय मदों पर ससमय कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित हो।

(कार्यवाही: वित्त अधिकारी, ए0के0टी0यू0, लखनऊ)

मद संख्या 34.06 जनपद बाराबंकी स्थित विश्वविद्यालय की 14.017 हेक्टेयर भूमि को आयुष विश्वविद्यालय हेतु स्थानांतरित किये जाने के संबंध में।

शासन के पत्र संख्या 4485/सोलह-1-2018-82/98टी0सी0 दिनांक 30.11.2018 द्वारा आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु जनपद बाराबंकी स्थित विश्वविद्यालय की 14.014 हेक्टेयर भूमि को स्थानांतरित किये जाने के विषय पर विश्वविद्यालय का अभिमत/संस्तुति सहित स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। तदक्रम में कार्य परिषद के माननीय सदस्यों से विश्वविद्यालय के पत्र सख्या ए0के0टी0यू0/कुस0का0/का0परि0/2018/13065 दिनांक 27.12.2018 द्वारा समस्त माननीय सदस्यों को ई0मेल/परिचालन के माध्यम से पत्र प्रेषित करते हुए उनसे अभिमत प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

उपरोक्त के कम में कार्य परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा महुआमऊ स्थित 14.017 हेक्टेयर भूमि को आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर संस्तुति "इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि उत्तर प्रदेश शासन उक्त भूमि के सापेक्ष तुलनात्मक रूप से लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से विश्वविद्यालय को निःशुल्क भूखण्ड उपलब्ध कराया जाए।"

माननीय सदस्यों के उपरोक्त अभिमत से विश्वविद्यालय ने पत्र संख्या ए0के0टी0यू0/कुस0का0/का0परि0/2019/01 दिनांक 01.02.2019 द्वारा शासन को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु आख्या प्रेषित कर दी। विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कृत कार्यवाही से अवगत होते हुए परिषद द्वारा पुष्टि प्रदान की गयी।

कार्यवाही: उप कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ)

मद संख्या 34.07 वास्तुकला संकाय, डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के स्थान पर संकाय का नाम "वास्तुकला एवं योजना संकाय" डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ किये जाने जाने के संबंध में।

परिषद द्वारा कार्यसूची के विषय बिन्दु के अन्तर्गत प्रस्तुत वास्तुकला संकाय, डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय

लखनऊ के स्थान पर वास्तुकला एवं योजना संकाय, डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय किये जाने पर संस्तुति प्रदान किया गया।

कार्यवाही: अधिष्ठाता/प्राचार्य, वास्तुकला संकाय)

मद संख्या 34.08 विश्वविद्यालय में कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत परामर्शियों/ विषय विशेषज्ञों को रखे जाने के संबंध में विचार।

सचिव, कार्यपरिषद द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में कतिपय योजनाये (सेन्टर फार इनोवेशन एण्ड इंक्यूवेशन, पुस्तकालय हेतु ई रिसोर्स कन्सोटियम, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं की ट्रेनिंग एवं प्लेसमेन्ट की व्यवस्था, विश्वविद्यालय द्वारा नवनिर्मित स्टूडियों का सफलतापूर्वक संचालन एवं ई0आर0पी0 एवं साफ्टवेयर डेवलपमेन्ट) संचालित है। उक्त योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन हेतु यह आवश्यक है कि उक्त की मानीटरिंग एवं योजनाबद्ध तरीके से काम करने हेतु विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। उक्त योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन हेतु भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इन्फारमेशन सेन्टर से टेक्निकल मैनपावर को NIC (निक्सी) के माध्यम से रखे गये तीन परामर्शियों पर संस्तुति प्रदान करते हुए कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत 10 परामर्शियों को रखे जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: उप कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ)

मद संख्या 34.09 विश्वविद्यालय के संस्थान सेन्टर फार एडवांस्ड स्टडीज के शिक्षक डॉ0 शिव प्रकाश, असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, नोएडा के शिक्षक श्री रविन्द्र सिंह द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के उपरान्त कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में।

परिषद द्वारा नवनियुक्ति शिक्षक डॉ0 शिव प्रकाश, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, सेन्टर फार एडवांस्ड स्टडीज, लखनऊ एवं श्री रविन्द्र सिंह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट, नोएडा को उनके द्वारा त्याग पत्र देने के फलस्वरूप उन्हें विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त/संख्या बल से पृथक किये जाने पर अपनी संस्तुति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही: उप कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ)

मद संख्या 34.10 **वास्तुकला संकाय, ए0के0टी0यू0 के शिक्षक डॉ0 महेन्द्र सेठी द्वारा अवकाश लिये बिना लगातार अनुपस्थित रहने के संबंध में विचार।**

वास्तुकला संकाय ए0के0टी0यू0, के एसोसिएट प्रोफेसर श्री महेन्द्र सेठी दो वर्षीय German Research Exchange Program हेतु बिना अवकाश स्वीकृति कराये अनाधिकृत रूप से संस्थान से अनुपस्थित रहने के प्रकरण से परिषद अवगत हुई। श्री सेठी के ड्यूटी लीव अथवा EOL के प्रार्थना पत्र पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री सेठी वर्तमान में परिवीक्षा अवधि में है, अतः श्री सेठी को ड्यूटी लीव अथवा EOL नियमानुसार अनुमन्य नहीं है। तद्क्रम में श्री सेठी के प्रार्थना पत्र को नियमानुसार न पाये जाने के कारण अस्वीकार करते हुए संस्थान एवं विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार की गयी कार्यवाही पर पुष्टि प्रदान करते हुए श्री सेठी की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही: अधिष्ठाता/प्राचार्य, वास्तुकला संकाय)

मद संख्या 34.11 **विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के वास्तुकला संकाय एवं घटक संस्थान इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग में शिक्षकों के चयन हेतु विशेषज्ञों के पैनल को माननीय कुलाधिपति/श्री राज्यपाल महोदय के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने पर विचार।**

परिषद द्वारा कार्यसूची के विषय बिन्दु के अन्तर्गत प्रस्तुत विश्वविद्यालय के दो संस्थाओं कमशः यू0पी0 इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, नोएडा, सेन्टर फार एडवांस स्टडीज, लखनऊ तथा घटक संस्थान इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ एवं विश्वविद्यालय के वास्तुकला संकाय के शिक्षकों के चयन हेतु विशेषज्ञों का पैनल जो मा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाना है, कि सूची पटल पर प्रस्तुत की गयी। उक्त से अवगत होते हुए परिषद ने अपनी संस्तुति प्रदान की।

(कार्यवाही: उप कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ)

मद संख्या 34.12 **विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के संस्थान सेन्टर फार एडवांस्ड स्टडीज, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, नोएडा हेतु स्वीकृति पदों के सापेक्ष नियुक्त किये गये अधिकारियों/ कर्मचारियों की उनकी नियुक्ति के उपरान्त पदों को स्थायीकरण किये जाने के संबंध में।**

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय एवं उसके दोनों संस्थानों में स्वीकृति पदों के सापेक्ष जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को विनियमित/नियुक्त किया है, उन पदों को स्थायीकरण किये जाने के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए शासन से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही: उप कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ)

मद संख्या 34.13 **इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, सीतापुर रोड, लखनऊ तथा लखनऊ कालेज आफ आर्किटेक्चर, लखनऊ को विश्वविद्यालय के घटक संस्थान/संकाय अधिसूचित करने के कम में विश्वविद्यालय की विनियमावली में व्यवस्था प्राविधानित करने पर विचार।**

परिषद द्वारा कार्यसूची के विषय बिन्दु के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण पर चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के घटक संस्थान इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, सीतापुर रोड, लखनऊ एवं लखनऊ कालेज आफ आर्किटेक्चर, लखनऊ को उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को संकाय बनाये जाने की अधिसूचना, अधिसूचना संख्या 1810/सोलह-1-2008- 14(17)/2008टी0सी0, दिनांक 19.05.2008 द्वारा विख्यापित की गयी है। **विस्तृत चर्चा के उपरान्त** परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि,

1. इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ को विघटित करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए।
2. इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ एवं वास्तुकला संकाय की चल एवं अचल सम्पत्ति को विश्वविद्यालय में समाहित करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए शासन को पत्र भेजकर सहमति प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही: उप कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ)

मद संख्या 34.14 **विश्वविद्यालय में पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों हेतु चयन समिति/विभागीय प्रोन्नत समिति का गठन किये जाने के संबंध में।**

माननीय कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि शासन के पत्र संख्या वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 के पत्र संख्या 9/2016/वे0आ0-2-201/दस-2016-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0 दिनांक 24.02.2016 के कम

में विश्वविद्यालय में कार्यरत ऐसे 72 कर्मी जो विश्विविद्यालय में दिनांक 31.12.2001 के पूर्व से कार्यरत थे, का विनियमितकरण दिनांक 30.03. 2016 को किया गया है।

पदोन्नति के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना सख्या 13/2/97-का-1-2013 लखनऊ दिनांक 24.04.2013 में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथलीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली-2013 के बिन्दु-4 के स्तम्भ-2 में निम्न व्यवस्था दी गयी है।

''अपेक्षित संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तो सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा सरकार के कार्मिक विभाग के परामर्श से यथास्थित उक्त निम्नतर पद या पदों पर यथानिर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर सेवा की ऐसी विहित न्यूनतम अवधि में 50 प्रतिशत तक यथोचित शिथिलता प्रदान की जा सकती है।''

चूँकि विनियमित किये गये कर्मचारी विगत 18 वर्षों से विश्वविद्यालय में कार्यरत है और पदोन्नति हेतु स्वीकृत पद कई वर्षो से रिक्त हैं अतः विश्वविद्यालय में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को अर्ह कर्मियों को पदोन्नति प्रदान करते हुए भरा जाना है। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का विवरण एवं उनकी संख्या निम्नवत् है:-

कमांक	पद नाम	पदों की संख्या	भर्ती को विधि	पदोन्नति हेतु निर्धारित समयावधि	पोषक संवर्ग
1.	निजी सचिव, (कुलपति हेतु)	01	प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानांतरण के आधार पर अथवा पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा	05 वर्ष	आशुलिपिक
2.	लेखाकार	03	प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानांतरण के आधार पर अथवा पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा	05 वर्ष	सहायक लेखाकार
3.	कार्यालय अधीक्षक	08	प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानांतरण के आधार पर अथवा पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा	05 वर्ष	कार्यालय सहायक/ वरिष्ठ लिपिक
4.	वरिष्ठ लिपिक	11	प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानांतरण के आधार पर अथवा पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा	05 वर्ष	कनिष्ठ लिपिक

परिषद द्वारा विस्तृत चर्चा के उपरान्त कार्मिक विभाग की उक्त अधिसूचना को अंगीकृत करते हुए पोषक संवर्ग से पदोन्नति पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए निर्देश दिया गया कि न्यूनतम निर्धारित अवधि में 50 प्रतिशत तक शिथिलता प्रदान करने का अनुरोध शासन से किया जाये।

(कार्यवाही: उप कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ)

मद संख्या 34.15 **इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त डॉ0 कर्म वीर आर्य, प्रोफेसर, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग को दिनांक 26.02.2019 को कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में।**

परिषद डॉ0 कर्मवीर आर्या, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग के कार्य मुक्त किये जाने के प्रस्ताव से अवगत हुई और उस पर अपना अनुमोदन प्रदान करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही: निदेशक, आई0ई0टी0, लखनऊ)

मद संख्या 34.16 **कम्पनीज एक्ट के सेक्शन-8 में दिये गये प्राविधानानुसार विश्वविद्यालय के कलाम सेन्टर फार इनोवेशन एण्ड इनक्यूवेशन आफ स्टार्टअप्स हेतु कम्पनी बनाने पर विचार।**

उद्यमिता विकास हेतु भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं अटल इनक्यूवेशन सेन्टर आदि के अन्तर्गत ग्रान्ट प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय में टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूवेटर (TBI) की स्थापना के उद्देश्य से कम्पनी एक्ट सेक्शन-8 के तहत कलाम सेन्टर फार इनोवेशन एण्ड इनक्यूवेशन आफ स्टार्टअप्स के नाम से कम्पनी बनाये जाने के प्रस्ताव से परिषद अवगत हुई। तद्क्रम में परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की विनियमावली में कम्पनी खोलने का प्राविधान करते हुए आई0आई0टी0, कानपुर की भाँति कलाम सेन्टर फार इनोवेशन एण्ड इनक्यूवेशन आफ स्टार्टअप्स के नाम से कम्पनी खोलने के प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: अधिष्ठाता, स्नातक पाठ्यक्रम एवं
विधि अधिकारी, ए0के0टी0यू0, लखनऊ)

मद संख्या 34.17 पं0 दीन दयाल गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत साफ्ट कम्पोनेंट हेतु आवंटित धनराशि में ही प्रयोगशालाओं हेतु उपकरणों, कम्प्यूटर्स एवं फर्नीचरस के क्रय को सम्मिलित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

पं0 दीन दयाल गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के सहयुक्त /संबद्ध तथा पूर्व में संबद्ध रहे शासकीय संस्थानों को राज्य प्रवेश परीक्षा निधि की बचतों से 60 प्रतिशत धनराशि हार्ड कम्पोनेन्ट यथा यथा इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट एवं नवनिर्माण तथा 40 प्रतिशत धनराशि साफ्ट कम्पोन्ट यथा शोध, डिजिटलीकरण एवं रोजगार को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं पर व्यय किये जाने की व्यवस्था है। अधिकांश संस्थाओं द्वारा अवगत कराया गया है कि साफ्ट कम्पोनेंट हेतु आवंटित 40 प्रतिशत धनराशि का पूरी तरह से सदुपयोग नहीं हो पा रहा है जबकि हार्ड कम्पोनेंट हेतु निर्धारित बजट से ज्यादा व्यय हो जा रहा है।

परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त हार्ड एवं साफ्ट कम्पोनेन्ट हेतु निर्धारित धनराशि कमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत के स्थान पर 80 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत (10 प्रतिशत लोच के साथ) किये जाने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए शासन से सहमति प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही: उप कुलसचिव,ए0के0टी0यू0, लखनऊ)

बैठक अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

(नन्द लाल सिंह)
कुल सचिव

(प्रो0 विनय कुमार पाठक)
कुलपति